यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम संह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम संह नगर) के माह 12/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 01/12/2017 से 14/12/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं अक्षय रूडोला, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/12/2016 से 17/12/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 11/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः नहरों एवं जलाशय का निर्माण एवं मरम्मत/रूद्रपुर एव गदरपुर ।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
संलग्न							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2015-16	AIBP	-	290.00	290.00	
2016-17	CSSR	-	150.00	150.00	
2017-18	CSSR	-	77.80	77.80	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

<u>स चव, संचाई वभाग</u>

प्रमुख अ भयन्ता

मुख्य अ भयन्ता

अधीक्षण अ भयन्ता

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम संह नगर) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम संह नगर) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। हरिपुरा जलाशय का पुनरोद्धार का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2015 तथा 09/2014 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः (-) 2099265.96

   भाग द् वतीयः 1998455.00
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2017 के अन्त में।

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 3,16,341.86

(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगत परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	1,30,84,285.96
(ङ)	भण्डार	(-) 14,47,326.93

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- बजट आवंटन प्राप्त न होने के बावजूद 7.41 करोड़ के दायित्वों का सृजन कया जाना।

संचाई खण्ड रूद्रपुर उधम संह की लेखापरीक्षा (माह दिसम्बर 2017) में पाया गया क खण्डीय अ धकारी द्वारा खण्ड के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध बजट आवंटन से अ धक कार्य ठेकेदारों से निष्पादित कराये गये, जिसके फलस्वरूप खण्ड पर 7.41 करोड़ के दायित्वों की देनदारी हो गयी जो ठेकेदारों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के एवज में भुगतान कया जाना है, ववरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	योजना /कार्य का नाम	खण्ड पर देनदारी (में)
1.	बौर एवं हरिपुरा बांधो का आधुनिकीकरण	1,00,53,852.00
2.	06 नहरों का आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार	1,82,92,620.00
3.	04 नहरों का आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार	52,51,690.00
4.	03 नहरों तथा रामसागर एवं जुनार नहर प्रणाली की गूल लाईनिंग	2,45,91,727.00
5.	खजिया नहर एवं हरिपुरा नहर का आधुनिकीकरण	1,34,63,336.00
6.	सामान्य अनुरक्षण मद	24,50,854.00
	कुल	7,41,04,079.00

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क खण्ड के पास पर्याप्त बजट आवंटन उपलब्ध न होने के बावजूद 7.41 करोड़ के दायित्वों का सृजन कया गया। पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया क स्वीकृत प्राक्कलनों के सापेक्ष कार्य कराये जाने के कारण दायित्व सृजित हुए है। उत्तर मान्य नहीं था क्यों क उपलब्ध बजट आवंटन से अ धक कार्य निष्पादित कराने के कारण अनावश्यक रूप में वभाग पर देनदारिया बढ़ी।

अतः 7.41 करोड़ की देनदारिया सृजित करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2- 6.13 लाख अ धक धनरा श के अनुबंध गठित करना, कार्य हेतु प्रावधानित धनरा श के सापेक्ष 4.08 लाख का अ धक भुगतान कये जाने एवं मुख्य अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन को वभाजित कया जाना तथा बिना मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के तीन रस्ता क्रा संग कार्य को पुनरी क्षत प्राक्कलन में पुनः सम्मि लत न कया जाना।

नाबार्ड के अंतर्गत रूद्रपुर में 04 नहरों के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार की योजना के अंतर्गत मटकोट नहर के 0.00 क.मी. से 2.500 कमी. के मध्य 1250 मीटर लाईनिंग कार्य हेतु 90,12,500/-, तीन रास्ता क्रा संग हेतु 1,37,871/- एवं क्नटिजेनसी (Contingency) हेतु 2,74,511/- कुल 94.25 लाख का प्राक्कलन (50/अ.अ./2015-16) दिनांक 26/10/2015 को अ धशासी अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत था।

उक्त कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क खण्ड द्वारा लाईनिंग कार्य हेतु स्वीकृत धनरा श 90,12,500/- के सापेक्ष कुल 96,25,891/- की धनरा श के 49 अनुबंध गठित कये थे, जिस में से 13 अनुबंध, अनुबंध संख्या 93 से 96 तक, 121,124,125,133,141,155 से 157 तक एवं 165/एई-I/2015-16 दिनांक 17/10/2015 तक यानि प्राक्कलन स्वीकृत (26/10/2015) से पहले ही गठित कये गये थे। इस प्रकार स्वीकृत धनरा श से (96,25,981 - 90,12,500) = 6,13,491/- की धनरा श के अ धक अनुबंध गठित कये गये थे। साथ ही यह भी पाया क दिनांक 09/03/2017 तक खण्ड द्वारा ठेकेदारों को स्वीकृत धनरा श 90,12,500/- के सापेक्ष 94,20,801/- यानि (94,20,801 - 90,12,500)= 4,08,301/- का अ धक भुगतान कया गया। इस के उपरांत दिनांक 11/05/2017 को खण्ड द्वारा पुनरी क्षत प्राक्कलन तैयार करते हुये प्राक्कलन में तीन रास्ता क्रो संग कार्य एवं कंटिनेन्सी (Contingency) हेतु प्रावधानित धनरा श को हटाते हुये बिना मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के लाईनिंग कार्य हेतु 90,12,500/- के स्थान पर 98.93 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत कया।

उक्त की ओर इं गत करने पर खण्ड द्वारा अ धक धनरा श के अनुबंध गठित करने के संबंध में बतलाया क प्रावधानित धनरा श 94.25 लाख है (प्राक्कलन संख्या 50EE/15-16)" और कोई भी अ धक भुगतान नहीं हुआ है। स्वीकृत प्राकक्लन से पूर्व अनुबंध गठित करने के संबंध में बतलाया क परियोजना संख्या 29/CE(K)/15-16 दिनांक 02/09/2015 मुख्य अ भयन्ता (कु) द्वारा स्वीकृति के उपरांत खण्ड द्वारा नहरों के वस्तृत प्राक्कलन नहरवार स्वीकृत कए गये। मुख्य अ भयन्ता द्वारा पृथक-पृथक वस्तृत प्राक्कलन गठित करने के निर्देशो के क्रम प्रा. स. 50/EE/15-16 गठित कया गया। यद्य प

अनुबंध वस्तृत आगणन गठन से पूर्व बने थे, परन्तु उनमें दरें मुख्य अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ही हैं।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यों क मुख्य अ भयन्ता (कु) द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन 29/CE(K)/15-16 दिनांक 02/09/2015 के आधार पर 13 अनुबंध गठित करने के उपरांत खण्डीय स्तर पर नहरवार प्राक्कलन गठित करना एवं पुनरी क्षत प्राक्कलन में तीन रास्ता क्रॉ संग कार्य को बिना मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के हटाना नियमाकूल नहीं है साथ ही प्राक्कलन में लाईनिंग कार्य हेतु प्रावधानित 90,12,500/- के सापेक्ष बिना पुनरी क्षत प्राक्कलन के 6,13,491/- धनरा श के अ धक अनुबंध गठित करना एवं 4,08,301/- का अ धक भुगतान करना वत्तीय नियमावली के वरूद्ध है।

अतः मुख्य अ भयन्ता (कु.) द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन को खण्डीय स्तर पर वभाजित करते हुये छोटे-छोटे प्राक्कलन गठित करना एवं 6.13 लाख अ धक धनरा श के अनुबंध गठित करना, कार्य हेतु प्रावधानित धनरा श के सापेक्ष 4.08 लाख का अ धक भुगतान कया जाना एवं मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के बिना ही तीन रास्ता क्रा संग कार्य को पुनरी क्षत प्राक्कलन में सम्मि लत न कये जाने के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- : वभागीय लापरवाही से अपूर्ण कार्य पर रु 25.10 लाख का निरर्थक व्यय

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उधम संघ नगर की तहसील कच्छा के अंतर्गत गोला नदी मे ग्राम गांधीनगर , कोटखर्रा, बं धया, भगवानपुर, सुतईया एवं कच्छा शहर की बढ़ सुरक्षा योजना हेतु कुल रु 1125.92 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु निम्नानुसार प्रदान की गयी (मार्च 2014)

क्रम स0	योजना का नाम	धनरा श (रु लाख मे)
1	Village gaandhinagar FPS	103.64
2।	Village Kotkharra	175.68
3.	Village Bandiya	146.48
4.	Village Bhagvanpur	120.75
5.	Village Sutayia	463.96
6.	Kichchha	82.62
	Total	1093.13 लाख
	Add 3% Contingency	32.79 लाख
		रु 1125.92 लाख

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, रुद्रपुर के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (Dec 2017) क उक्त योजना के निष्पादन हेतु अधीक्षण अ भयंता पर कुल 11 अनुबंध एवं स0 अ भयंता स्तर पर कुल 34 अनुबंध गठित कए गए थे जिनकी कुल नि वदा लागत रु 739.90 लाख ही थी। इसके अतिरिक्त खंड के अंतर्गत गठित एक अनुबंध 07/EE/1014-15 दिनां कत 12.01.2015 जिसकी नि वदा लागत रु 67.23 लाख थी, पर रु 25.11 लाख व्यय के उपरांत कार्य को बंद कर दिया गया था । इस प्रकार उक्त 01 अनुबन्धो के सापेक्ष कया गया व्यय रु 25.10 लाख एक निरर्थक व्यय था।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क धन आवंटन मे कमी के कारण कम धनरा श हेतु ही अनुबंध गठित कए गए जब क अनुबंध स0 07/ई ई/2014-15 के अंतर्गत कराये गए कार्यो के उपरांत नदी के रुख मे परिवर्तन के कारण कार्य बंद कया गया जब क अनुबंध स0 03/EE/2015-16 के अंतर्गत रु 33.17 लाख व्यय के उपरांत ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण कार्य को बंद करना पड़ा।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यूंकी खंड द्वारा न केवल वस्तृत आगणन के सापेक्ष कार्यो के मदों मे अप्रत्या शत कमी की गयी अ पतु अधूरे कार्य के उपरांत नदी के रुख मे परिवर्तन एवं ठेकेदार

द्वारा कार्य को बंद करना खंड द्वारा स्थल के उ चत सर्वे की कमी एवं अनुबंध की समाप्ती की निर्धारित ति थ के 02 वर्ष बाद भी ठेकेदार के वरुद्ध कोई कार्यवाही न कर कार्य को अवरुद्ध रखना खंड की श थलता को इं गत करता है।

अतः वभागीय श थलता एवं लापरवाही के कारण न केवल योजना का कार्य अभी तक अपूर्ण था अ पतु स्थल का उ चत निरीक्षण न कर कार्य कराने से नदी के रुख मे परिवर्तन से कया गया व्यय रु 25.10 लाख एक निरर्थक व्यय था, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संगयन मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
20/2003-04	-	1,2
90/2005-06	1	1 (a,b), 2
29/2008-09	-	1,2
33/2010-11	-	1,2
17/2013-14	-	1
40/2014-15	-	3
20/2015-16	-	2
92/2016-17	-	2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम संह नगर) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री संजय शुक्ल	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री मानस पाण्डे, वरि. खण्डीय लेखा धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम संह नगर) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II